एफएसएसएआई fssai
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
Food Safety and Standards Authority of India

सत्यमेव जयते

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health and Family Welfare
GOVERNMENT OF INDIA

Media Compendium

FSSAI CEO Calls for Regular Sampling, Swift Action on Adulterated Foods in Rajasthan

एफएसएसएआई के सीईओ ने की प्रदेश के खाद्य सुरक्षा कार्यों की समीक्षा

खाद्य सुरक्षा की दिशा में राजस्थान के प्रयासों को सराहा, मिलावट के लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

एफएसएसएआई के सीईओ ने की प्रदेश के खाद्य सुरक्षा कार्यों की समीक्षा

खाद्य सुरक्षा की दिशा में राजस्थान के प्रयासों को सराहा, मिलावट के लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

एफएसएसएआई के सीईओ ने की प्रदेश के खाद्य सुरक्षा कार्यों की समीक्षा

खाद्य सुरक्षा की दिशा में राजस्थान के प्रयासों को सराहा

एफएसएसएआई के सीईओ ने की खाद्य सुरक्षा कार्यों की समीक्षा

जयपुर, 16 जुलाई (ब्यूरो): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के केन्द्रीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. कमला वर्धन ने कहा कि राज्य में मिलावट रोकथाम एवं खाद्य सुरक्षा को लेकर सैंपलिंग की जा रही है। उन्होंने मिलावट रोकने के लिए दर्ज किए जा रहे केसेज की जानकारी ली एवं इनके त्वरित निस्तारण के साथ सतत निगरानी के निर्देश दिए।

केन्द्रीय सीईओ बुधवार को ओटीएस खाद्य सुरक्षा को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। अतिरिक्त जिला कलक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को उन्होंने आगामी कार्यों के ... किया। उन्होंने कहा कि दैनिक खाद्य पदार्थों ... दूध, पनीर मसाले के सैंपल नियमित रूप से ... र इनसे संबंधित केसेज को त्वरित रूप से ... जाए। बैठक में रेगुलेटरी कम्प्लाइंस डिविजन ... केश कुमार एवं कार्यकारी निदेशक सत्येन ... अधिनियम के तहत सैंपलिंग के बाद अधिकतम ... स पर निर्णय किए जाने की जानकारी दी। ... क्त एच. गुप्टे ने मौसम को देखते हुए सभी ... तिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए।

#FSSAIinNews

THE HINDU

Centre praises Rajasthan's efforts to prevent food adulteration

The public awareness campaign on food safety has yielded good results in Rajasthan

Published - July 17, 2025 06:01 am IST - JAIPUR

Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) chief executive officer G. Kamala Vardhana Rao. File | Photo Credit: H. Vibhu

The Centre has praised the Rajasthan government's efforts to ensure food safety and prevent food adulteration, while laying emphasis on continuous monitoring and quick disposal of the cases registered against the offenders. The public awareness campaign on food safety has yielded good results in the State.

Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) chief executive officer G. Kamala Vardhana Rao said here on Wednesday (July 16, 2025) that the samples of edible items such as milk, ghee, cheese, and spices should be collected regularly and the cases registered for them be disposed of promptly.

Mr. Rao reviewed the work being performed in the State for regulation of food manufacture, storage, distribution and sale under the Food Safety and Standards Act, 2006. Chief Medical & Health Officers, Food Safety Officers and administrative officials attended the regional review meeting.

Regulatory Compliance Division's Director Rakesh Kumar said the cases registered under the Food Safety and Standards Act should be decided within a maximum of 90 days after the sampling.

Haulianlal Guite, Commissioner, Food Safety & Drug Control in the Rajasthan Directorate of Medical, Health & Family Welfare, said an artificial intelligence-based app was being developed for real time monitoring of action taken for food safety and providing necessary information to the public.

Mr. Guite said over 18,200 food samples were taken in the State during 2024-25 and 863 of them were found unsafe, while 3,734 were sub-standard and 131 were misbranded. Necessary action had been taken after analysing over 17,600 samples, he said.

ANI
South Asia's Leading Multimedia News Agency

FSSAI CEO calls for regular sampling, swift action on adulterated foods in Rajasthan

ANI | Updated: Jul 16, 2025 22:12 IST

New Delhi [India], July 16 (ANI): The Chief Executive Officer (CEO) of the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) stated during a state review meeting in Jaipur, Rajasthan on Wednesday that regular collection of samples from commonly consumed foods like ghee, milk, paneer, and spices is necessary, and related cases should be resolved quickly.

"Samples of commonly consumed food items such as ghee, milk, paneer, and spices should be collected regularly, and the related cases must be disposed of promptly," he said.

The CEO of FSSAI stressed the need for speeding up the process of establishing a Food Safety Laboratory at Bikaner and assured FSSAI's support. Further, the CEO appreciated the proactive efforts of the Rajasthan government in promoting food safety and combating food adulteration. He also directed officials to ensure continuous monitoring to strengthen enforcement while emphasising the need for prompt disposal of pending food adulteration cases.

During the review, Shri G Kamala Vardhana Rao, CEO, FSSAI, assessed efforts being undertaken under the Food Safety and Standards (FSS) Act, 2006, to prevent adulteration, including pending legal cases, manpower deployment, and other critical aspects.

The importance of concluding adjudication within 90 days of the first hearing of the case, as mandated by the FSS Act 2006, was also discussed in the meeting. The meeting was attended by Additional District Magistrates from various districts, who are responsible for and appointed as adjudication officers to handle food adulteration-related cases.

The CEO took stock of the vacant Food Safety Officer (FSO) positions in the state and advised that these be filled as soon as possible.

The Food Safety Commissioner of Rajasthan, Shri H. Guite, presented a detailed overview of food safety operations and upcoming food safety campaigns, particularly during the festive season and shared progress updates.

The Executive Director of the Regulatory Compliance Division, Satyen Kumar Panda and the Director, Shri Rakesh Kumar, also addressed the meeting and shared strategic guidance for effective enforcement of the FSS Act 2006. The meeting was attended by the Chief Medical and Health Officers, as well as all Food Safety Officers, both online and offline, from various districts, along with other senior officials.

The meeting concluded with a unified resolve by both central and state authorities to strengthen collaboration, enhance regulatory enforcement and food safety compliance throughout the state. (ANI)

Hindustan Times

FSSAI CEO PUSHES FOR FASTER CASE DISPOSAL, RAISES AWARENESS IN RAJ

FSSAI CEO PUSHES FOR FASTER CASE DISPOSAL, RAISES AWARENESS IN RAJ

HT Correspondent

letters@hindustantimes

JAIPUR: The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has intensified monitoring and public awareness efforts in Rajasthan. During a review meeting in Jaipur, FSSAI CEO G. Kamala Vardhan on Wednesday highlighted that ongoing sampling drives and awareness campaigns have led to increased public vigilance and effective control over food adulteration in the state. Vardhan said significant efforts are being made in Rajasthan not only in conducting sampling operations to prevent food adulteration and ensure food safety, but also in spreading public awareness about food safety. The ongoing campaign against adulteration in the state has increased public awareness and led to effective prevention of food adulteration. He reviewed the cases being registered to curb adulteration and instructed for their speedy resolution along with continuous monitoring.

The Central CEO was reviewing the work being done for food safety in the state during a meeting held on Wednesday at the OTS auditorium.

In a regional review meeting with Additional District Collectors, Chief Medical and Health Officers, and Food Safety Officers, he extensively reviewed various matters including efforts being undertaken under the provisions of the Food Safety and Standards Act, pending cases, and manpower availability.

THE TIMES OF INDIA

FSSAI seeks faster establishment of food safety laboratory in Bikaner

FSSAI seeks faster establishment of food safety laboratory in Bikaner

TIMES NEWS NETWORK

Jaipur: The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) Wednesday stressed the need to speed up the establishment of a food safety laboratory in Bikaner and assured FSSAI's support for this purpose.

FSSAI chief executive officer G Kamala Vardhana Rao held a meeting with health department officials in Jaipur. He appreciated the efforts of the state govt in promoting food safety and combating food adulteration.

He also directed officials to ensure continuous monitoring to strengthen enforcement while emphasising the need for the prompt disposal of pending food adulteration cases.

FSSAI chief executive officer G Kamala Vardhana Rao appreciated the efforts of the state govt in promoting food safety and combating food adulteration

"Samples of commonly consumed food items such as ghee, milk, paneer, and spices should be collected regularly, and the related cases must be disposed of promptly," said Rao while addressing state food safety officials during a state review meeting held in Jaipur.

During the review, Rao said FSSAI assessed efforts being undertaken under the Food Safety and Standards (FSS) Act, 2006, to prevent adulteration, including pending legal cases, manpower deployment, and other critical aspects. The importance of concluding adjudication within 90 days of the first hearing of the case, as mandated by the FSS Act 2006, was also discussed in the meeting.

पंजाब केसरी
— www.PunjabKesari.com —

एफएसएसएआई के सीईओ ने की खाद्य सुरक्षा कायोर्ं की समीक्षा

एफएसएसएआई के सीईओ ने की खाद्य सुरक्षा कार्यों की समीक्षा

जयपुर, 16 जुलाई (ब्यूरो): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के केन्द्रीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. कमला वर्धन ने कहा कि राज्य में मिलावट रोकथाम एवं खाद्य सुरक्षा को लेकर सेंपलिंग की जा रही है। उन्होंने मिलावट रोकने के लिए दर्ज किए जा रहे केसेज की जानकारी ली एवं इनके त्वरित निस्तारण के साथ सतत निगरानी के निर्देश दिए।

केन्द्रीय सीईओ बुधवार को ओटीएस खाद्य सुरक्षा को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। अतिरिक्त जिला कलक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को उन्होंने आगामी कार्यों के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि दैनिक खाद्य पदार्थों में शामिल घी, दूध, पनीर मसाले के सेंपल नियमित रूप से लिए जाएं और इनसे संबंधित केसेज को त्वरित रूप से निस्तारित किया जाए। बैठक में रेगुलेटरी कम्प्लाइंस डिविजन के निदेशक राकेश कुमार एवं कार्यकारी निदेशक सत्येन कुमार पंडा ने अधिनियम के तहत सेंपलिंग के बाद अधिकतम 90 दिवस में केस पर निर्णय किए जाने की जानकारी दी। खाद्य सरक्षा आयुक्त एच. गुईटे ने मौसम को देखते हुए सभी एफएसओ को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए।

मिलावटखोरों के खिलाफ दर्ज केस को शीघ्र निपटाएं: सेंट्रल सीईओ

मिलावटखोरों के खिलाफ दर्ज केस को शीघ्र निपटाएं : सेंट्रल सीईओ

इंडिया न्यूज़|जयपुर

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के केंद्रीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी.कमला वर्धन ने राजस्थान में मिलावट रोकथाम एवं खाद्य सुरक्षा को लेकर सैंपलिंग कार्रवाई के साथ-साथ आमजन में खाद्य सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता के प्रयासों को सराहा। उन्होंने कहा कि मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से आमजन में जागरूकता बढ़ी है तथा मिलावट पर प्रभावी रोकथाम हो रही है। उन्होंने मिलावट रोकने के लिए दर्ज किए जा रहे केस की जानकारी ली और इनके त्वरित निस्तारण के साथ सतत निगरानी के निर्देश दिए। वर्धन बुधवार को ओटीएस सभागार में प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में उन्होंने मिलावट रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत किए जा रहे प्रयासों, लंबित केसेज, मैनपॉवर सहित विभिन्न मामलों पर विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आमजन के दैनिक खाद्य पदार्थों में शामिल घी, दूध, पनीर मसाले जैसे पदार्थों के सैंपल नियमित रूप से लिए जाएं और इनसे संबंधित केस को त्वरित रूप से निस्तारित किया जाए। उन्होंने प्रदेश में फूड सेफ्टी ऑफिसर के रिक्त पदों के बारे में जानकारी लेते हुए यथाशीघ्र भरने के भी निर्देश दिए। बैठक में रेगुलेटरी कंप्लायंस डिविजन के निदेशक राकेश कुमार एवं कार्यकारी निदेशक सत्येन कुमार पंडा ने भी खाद्य सुरक्षा एक्ट के प्रावधानों की सख्ती से पालना के साथ ही अपनाई जाने वाली रणनीति पर भी चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। खाद्य संरक्षा आयुक्त एच.गुईटे ने प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के तहत की जा रही कार्रवाई सहित विभिन्न अभियानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बारिश के मौसम को देखते हुए सभी एफएसओ को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए।

The Daily Guardian

Food first: FSSAI chief backs Rajasthan's war on adulteration

Food first: FSSAI chief backs Rajasthan's war on adulteration

TDG NETWORK
JAIPUR

Presenting the state data for the period April 2024 to March 2025, Food Safety Commissioner H. Guite reported that out of 18,213 food samples tested, 863 were found unsafe, 3,734 were sub-standard, and 131 were misbranded.

Praising Rajasthan's proactive approach to ensuring food safety, G. Kamla Vardhan, CEO of the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), on Wednesday directed officials to expedite pending adulteration cases and strengthen enforcement of food safety norms across the state.

Speaking at a regional review meeting held at the OTS auditorium in Jaipur, Vardhan acknowledged the state's robust sampling and awareness campaigns, which he said have "significantly increased public consciousness and played a vital role in preventing food adulteration." The session was attended by Additional District Collectors, Chief Medical and Health Officers, and Food Safety Officers (FSOs) from across Rajasthan.

Vardhan emphasized the importance of regular testing of essential food items such as ghee, milk, paneer, and spices, and instructed district teams to swiftly resolve related cases. He also urged authorities to fill all vacant FSO posts to maintain continuous oversight.

During the meeting, Deputy Director of Regulatory Compliance Rakesh Kumar and Executive Director Satyen Kumar Panda provided strategic inputs and stressed adherence to the legal 90-day case resolution timeline under the Food Safety and Standards Act.

Presenting the state data for the period April 2024 to March 2025, Food Safety Commissioner H. Guite reported that out of 18,213 food samples tested, 863 were found unsafe, 3,734 were sub-standard, and 131 were misbranded. He added that 17,615 analyzed cases have been addressed, while 598 remain pending, and these must be cleared in accordance with district-specific deadlines.

Guite also highlighted special anti-adulteration drives during the festive season and seasonal precautions against rain-related contamination.

He announced the upcoming launch of an AI-enabled mobile application that will allow real-time monitoring of food safety data and public access to food-related alerts and questionnaires. Review committees assessed weather-sensitive safety protocols, manpower allocation, and public outreach impact. Other key participants included Director IEC Shaheen Ali Khan, Additional Food Safety Commissioner Pankaj Ojha, and Joint Commissioner Dr. Vijay Prakash Sharma.

The meeting concluded with a strong mandate: no delay in food sampling, case resolution, or public awareness efforts. "Maintaining high food safety standards is non-negotiable," Vardhan said, reiterating FSSAI's commitment to safeguarding public health through strict regulatory enforcement.

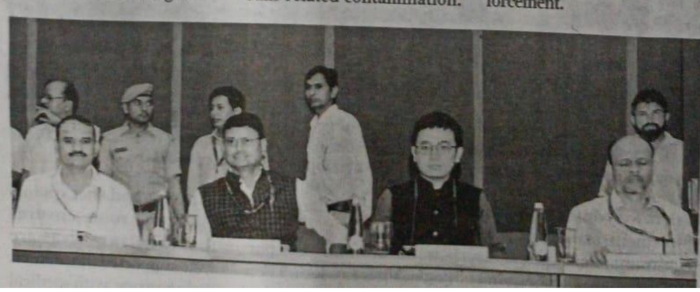

The News Mill
VOICE OF NORTHEAST INDIA

FSSAI CEO calls for regular sampling, swift action on adulterated foods in Rajasthan

Written By: ANI
| Published on: Jul 16, 2025

ANI Photo | FSSAI CEO calls for regular sampling, swift action on adulterated foods in Rajasthan

The Chief Executive Officer (CEO) of the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) stated during a state review meeting in Jaipur, Rajasthan on Wednesday that regular collection of samples from commonly consumed foods like ghee, milk, paneer, and spices is necessary, and related cases should be resolved quickly.

“Samples of commonly consumed food items such as ghee, milk, paneer, and spices should be collected regularly, and the related cases must be disposed of promptly,” he said.

The CEO of FSSAI stressed the need for speeding up the process of establishing a Food Safety Laboratory at Bikaner and assured FSSAI’s support. Further, the CEO appreciated the proactive efforts of the Rajasthan government in promoting food safety and combating food adulteration. He also directed officials to ensure continuous monitoring to strengthen enforcement while emphasising the need for prompt disposal of pending food adulteration cases.

During the review, Shri G Kamala Vardhana Rao, CEO, FSSAI, assessed efforts being undertaken under the Food Safety and Standards (FSS) Act, 2006, to prevent adulteration, including pending legal cases, manpower deployment, and other critical aspects.

The importance of concluding adjudication within 90 days of the first hearing of the case, as mandated by the FSS Act 2006, was also discussed in the meeting. The meeting was attended by Additional District Magistrates from various districts, who are responsible for and appointed as adjudication officers to handle food adulteration-related cases.

The CEO took stock of the vacant Food Safety Officer (FSO) positions in the state and advised that these be filled as soon as possible.

The Food Safety Commissioner of Rajasthan, Shri H. Guite, presented a detailed overview of food safety operations and upcoming food safety campaigns, particularly during the festive season and shared progress updates.

The Executive Director of the Regulatory Compliance Division, Satyen Kumar Panda and the Director, Shri Rakesh Kumar, also addressed the meeting and shared strategic guidance for effective enforcement of the FSS Act 2006. The meeting was attended by the Chief Medical and Health Officers, as well as all Food Safety Officers, both online and offline, from various districts, along with other senior officials.

The meeting concluded with a unified resolve by both central and state authorities to strengthen collaboration, enhance regulatory enforcement and food safety compliance throughout the state.

CNBC TV18

FSSAI chief calls for crackdown on food adulteration in Rajasthan, urges faster disposal of cases

July 16, 2025, 9:06:21 PM IST (Published)

In a bid to tighten the noose on food adulteration, the Chief Executive Officer (CEO) of the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), G Kamala Vardhana Rao, has urged Rajasthan officials to conduct regular sampling of commonly consumed food items and ensure swift disposal of related cases.

The directive was issued during a high-level review meeting with state food safety officials held in Jaipur on Wednesday.

“Samples of ghee, milk, paneer, and spices should be collected regularly, and cases must be disposed of promptly,” Rao stated, emphasising that pending adjudications must be resolved within the 90-day window mandated under the Food Safety and Standards (FSS) Act, 2006, FSSAI said in a press statement.

During the review, Rao assessed the state's progress under the FSS Act, including pending legal cases, enforcement bottlenecks, manpower deployment, and infrastructure challenges.

A key highlight of the meeting was the CEO's push to expedite the setting up of a Food Safety Laboratory at Bikaner. He assured that FSSAI would provide full support to operationalise the lab, which is expected to play a crucial role in enhancing testing and analytical capacity in western Rajasthan.

The CEO also took stock of the vacancies in the Food Safety Officer (FSO) cadre across the state and urged officials to fill the posts without delay to ensure effective enforcement and regular inspections.

The review meeting was attended by Additional District Magistrates from across Rajasthan who function as adjudicating officers under the FSS Act. Chief Medical and Health Officers, Food Safety Officers from various districts (attending both online and in-person), and senior officials of FSSAI were also present.

Rajasthan's Food Safety Commissioner, Shri H. Guite, gave a comprehensive overview of the state's food safety measures, upcoming campaigns—particularly during the festive season—and public awareness drives. He highlighted the proactive steps being taken to promote food safety at the grassroots level.

Senior FSSAI officials, including Satyen Kumar Panda, Executive Director of the Regulatory Compliance Division, and Director Rakesh Kumar, provided strategic direction and regulatory guidance during the session.

The meeting concluded with a collective resolve by central and state authorities to strengthen coordination, step up surveillance, and ensure rigorous implementation of food safety regulations across Rajasthan.

THE TIMES OF INDIA

FSSAI wants faster establishment of food safety lab in Bikaner City

Jaipur: The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) Wednesday stressed the need to speed up the establishment of a food safety laboratory in Bikaner and assured FSSAI's support for this purpose.

FSSAI chief executive officer G Kamala Vardhana Rao held a meeting with health department officials in Jaipur. He appreciated the efforts of the state govt in promoting food safety and combating food adulteration. He also directed officials to ensure continuous monitoring to strengthen enforcement while emphasising the need for the prompt disposal of pending food adulteration cases.

"Samples of commonly consumed food items such as ghee, milk, paneer, and spices should be collected regularly, and the related cases must be disposed of promptly," said Rao while addressing state food safety officials during a state review meeting held in Jaipur.

During the review, Rao said FSSAI assessed efforts being undertaken under the Food Safety and Standards (FSS) Act, 2006, to prevent adulteration, including pending legal cases, manpower deployment, and other critical aspects. The importance of concluding adjudication within 90 days of the first hearing of the case, as mandated by the FSS Act 2006, was also discussed in the meeting. The meeting was attended by additional district magistrates of various districts who are responsible and appointed as adjudication officers for handling food adulteration-related cases.

The CEO took stock of the vacant food safety officer (FSO) positions in the state and advised that these be filled at the earliest. The state's food safety commissioner, H Guite, presented a detailed overview of food safety operations and upcoming food safety campaigns, particularly during the festive season, and shared progress updates.

मृदुल पत्रिका

एफएसएसएआई के सीईओ ने की प्रदेश के खाद्य सुरक्षा कार्यों की समीक्षा

एफएसएसएआई के सीईओ ने की प्रदेश के खाद्य सुरक्षा कार्यों की समीक्षा

खाद्य सुरक्षा की दिशा में राजस्थान के प्रयासों को सराहा, मिलावट के लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

जयपुर, (मृदुल पत्रिका)। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के केन्द्रीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. कमला वर्धन ने कहा कि राजस्थान में मिलावट रोकथाम एवं खाद्य सुरक्षा को लेकर सेंपलिंग कार्यवाही के साथ-साथ आमजन में खाद्य सुरक्षा के प्रति जन-जागरुकता के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से आमजन में जागरूकता बढ़ी है तथा मिलावट पर प्रभावी रोकथाम हो रही है। उन्होंने मिलावट रोकने के लिए दर्ज किए जा रहे केसेज की जानकारी ली एवं इनके त्वरित निस्तारण के साथ सतत निगरानी के निर्देश दिए।

केन्द्रीय सीईओ बुधवार को ओटीएस के सभागार में प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। अतिरिक्त जिला कलक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में उन्होंने मिलावट रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत किए जा रहे प्रयासों, लम्बित केसेज, मैनपॉवर सहित विभिन्न मामलों पर विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन के दैनिक खाद्य पदार्थों में शामिल घी, दूध, पनीर मसाले जैसे पदार्थों के सेंपल नियमित रूप से लिए जाएं और इनसे संबंधित केसेज को त्वरित रूप से निस्तारित किया जाए। उन्होंने प्रदेश में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के रिक्त पदों के बारे में जानकारी लेते हुए यथाशीघ्र भरने के भी निर्देश दिए।

बैठक में रेगुलेटरी कम्प्लाइंस डिविजन के निदेशक राकेश कुमार एवं कार्यकारी निदेशक सत्येन कुमार पंडा ने भी खाद्य सुरक्षा एक्ट के प्रावधानों की सख्ती से पालना के साथ ही अपनाई जाने वाली रणनीति पर भी चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। राकेश ने कहा कि अधिनियम के तहत सेंपलिंग के बाद अधिकतम 90 दिवस में केस पर निर्णय किया जाना आवश्यक है।

खाद्य सरक्षा आयुक्त एच. गुईटे ने प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के तहत की जा रही कार्यवाही सहित विभिन्न अभियानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बारिश के मौसम को देखते हुए सभी एफएसओ को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के तहत किए जाने वाली कार्यवाही की रियल टाइम मॉनिटरिंग एवं आमजन को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए एआई आधारित एप विकसित की जा रही है। इसमें आमजन के लिए प्रश्नावली सहित आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध होगी।

गुईटे ने बताया कि अप्रेल 24 से मार्च 2025 की अवधि में प्रदेश में 18 हजार 213 सेम्पल लिए गए। इनमें 863 अनसेफ, 3734 सेम्पल सब स्टेंडर्ड एवं 131 मिस ब्रांडेड पाए गए। इनमें से 17 हजार 615 सेम्पल्स का विश्लेषण कर आवश्यक कार्यवाही कर दी गयी है। शेष 598 पेंडिंग मामलों में जिलावार अवधि निर्धारित कर नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने प्रदेश में त्यौहारी सीजन एवं अन्य अवसरों पर मिलावट रोकथाम के लिए संचालित किए जाने वाले अभियानों एवं प्रगति पर प्रजेंटेशन के माध्यम से जानकारी प्रदान की।

समीक्षा बैठक में निदेशक आईईसी शाहीन अली खान, अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त पंकज ओझा, संयुक्त आयुक्त डॉ. विजय प्रकाश शर्मा सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।

विराट वैभव
राष्ट्रीय अखबार-खोले वैभव के द्वार

खाद्य सुरक्षा की दिशा में राजस्थान के प्रयासों को सराहा, - मिलावट के लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

एफएसएसएआई के सीईओ ने की प्रदेश के खाद्य सुरक्षा कार्यों की समीक्षा

खाद्य सुरक्षा की दिशा में राजस्थान के प्रयासों को सराहा, मिलावट के लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

जयपुर, (विराट वैभव)। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के केन्द्रीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. कमला वर्धन ने कहा कि राजस्थान में मिलावट रोकथाम एवं खाद्य सुरक्षा को लेकर सेंपलिंग कार्यवाही के साथ–साथ आमजन में खाद्य सुरक्षा के प्रति जन-जागरुकता के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से आमजन में जागरूकता बढ़ी है तथा मिलावट पर प्रभावी रोकथाम हो रही है। उन्होंने मिलावट रोकने के लिए दर्ज किए जा रहे केसेज की जानकारी ली एवं इनके त्वरित निस्तारण के साथ सतत निगरानी के निर्देश दिए।

केन्द्रीय सीईओ बुधवार को ओटीएस के सभागार में प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। अतिरिक्त जिला कलक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में उन्होंने मिलावट रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत किए जा रहे प्रयासों, लम्बित केसेज, मैनपॉवर सहित विभिन्न मामलों पर विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन के दैनिक खाद्य पदार्थों में शामिल घी, दूध, पनीर मसाले जैसे पदार्थों के सेंपल नियमित रूप से लिए जाएं और इनसे संबंधित केसेज को त्वरित रूप से निस्तारित किया जाए। उन्होंने प्रदेश में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के रिक्त पदों के बारे में जानकारी लेते हुए यथाशीघ्र भरने के भी निर्देश दिए।

बैठक में रेगुलेटरी कम्प्लाइंस डिविजन के निदेशक राकेश कुमार एवं कार्यकारी निदेशक सत्येन कुमार पंडा ने भी खाद्य सुरक्षा एक्ट के प्रावधानों की सख्ती से पालना के साथ ही अपनाई जाने वाली रणनीति पर भी चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। राकेश ने कहा कि अधिनियम के तहत सेंपलिंग के बाद अधिकतम 90 दिवस में केस पर निर्णय किया जाना आवश्यक है।

खाद्य सरक्षा आयुक्त एच. गुईटे ने प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के तहत की जा रही कार्यवाही सहित विभिन्न अभियानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बारिश के मौसम को देखते हुए सभी एफएसओ को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के तहत किए जाने वाली कार्यवाही की रियल टाइम मॉनिटरिंग एवं आमजन को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए एआई आधारित एप विकसित की जा रही है। इसमें आमजन के लिए प्रश्नावली सहित आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध होगी।

गुईटे ने बताया कि अप्रेल 24 से मार्च 2025 की अवधि में प्रदेश में 18 हजार 213 सेम्पल लिए गए। इनमें 863 अनसेफ, 3734 सेम्पल सब स्टेंडर्ड एवं 131 मिस ब्रांडेड पाए गए। इनमें से 17 हजार 615 सेम्पल्स का विश्लेषण कर आवश्यक कार्यवाही कर दी गयी है। शेष 598 पेंडिंग मामलों में जिलावार अवधि निर्धारित कर नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने प्रदेश में त्यौहारी सीजन एवं अन्य अवसरों पर मिलावट रोकथाम के लिए संचालित किए जाने वाले अभियानों एवं प्रगति पर प्रजेंटेशन के माध्यम से जानकारी प्रदान की।

समीक्षा बैठक में निदेशक आईईसी शाहीन अली खान, अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त पंकज ओझा, संयुक्त आयुक्त डॉ. विजय प्रकाश शर्मा सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।

मॉर्निंग न्यूज

खाद्य सुरक्षा की दिशा में प्रदेश के प्रयासों को सराहा

खाद्य सुरक्षा की दिशा में प्रदेश के प्रयासों को सराहा

एफएसएसएआई के सीईओ ने की प्रदेश के खाद्य सुरक्षा कार्यों की समीक्षा
मिलावट के लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के केन्द्रीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. कमला वर्धन ने कहा कि राजस्थान में मिलावट रोकथाम एवं खाद्य सुरक्षा को लेकर सैंपलिंग कार्रवाई के साथ-साथ आमजन में खाद्य सुरक्षा के प्रति जन-जागरुकता के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से आमजन में जागरूकता बढ़ी है तथा मिलावट पर प्रभावी रोकथाम हो रही है। उन्होंने मिलावट रोकने के लिए दर्ज किए केसेज की जानकारी ली एवं त्वरित निस्तारण के साथ सतत निगरानी के निर्देश दिए।

केन्द्रीय सीईओ बुधवार को ओटीएस के सभागार में प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। अतिरिक्त जिला कलक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में उन्होंने मिलावट रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत किए जा रहे प्रयासों, लम्बित केसेज, मैनपॉवर

सहित विभिन्न मामलों पर विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन के दैनिक खाद्य पदार्थों में शामिल घी, दूध, पनीर मसाले जैसे पदार्थों के सेंपल नियमित रूप से लिए जाएं और इनसे संबंधित केसेज को त्वरित रूप से निस्तारित किया जाए। उन्होंने प्रदेश में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के रिक्त पदों के बारे में जानकारी लेते हुए यथाशीघ्र भरने के भी निर्देश दिए।

बैठक में रेगुलेटरी कम्प्लाइंस डिविजन के निदेशक राकेश कुमार एवं कार्यकारी निदेशक सत्येन कुमार पंडा ने भी खाद्य सुरक्षा एक्ट के प्रावधानों की सख्ती से पालना के साथ ही अपनाई जाने वाली रणनीति पर भी चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। राकेश ने कहा कि अधिनियम के तहत सैंपलिंग के बाद अधिकतम 90 दिवस में केस पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। खाद्य सरक्षा आयुक्त एच. गुईटे ने प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के तहत की जा रही कार्यवाही सहित विभिन्न अभियानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बारिश के मौसम को देखते हुए सभी एफएसओ को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के तहत किए जाने वाली कार्यवाही की रियल टाइम मॉनिटरिंग एवं आमजन को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए एआई आधारित एप विकसित की जा रही है। इसमें आमजन के लिए प्रश्नावली सहित आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध होगी। गुईटे ने बताया कि अप्रेल 24 से मार्च 2025 की अवधि में प्रदेश में 18 हजार 213 सेम्पल लिए गए। इनमें 863 अनसेफ, 3734 सेम्पल सब स्टैंडर्ड एवं 131 मिस ब्रांडेड पाए गए। इनमें से 17 हजार 615 सेम्पल्स का विश्लेषण कर आवश्यक कार्यवाही कर दी गयी है। शेष 598 पेंडिंग मामलों में जिलावार अवधि निर्धारित कर नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने प्रदेश में त्यौहारी सीजन एवं अन्य अवसरों पर मिलावट रोकथाम के लिए संचालित किए जाने वाले अभियानों एवं प्रगति पर प्रजेंटेशन के माध्यम से जानकारी प्रदान की। समीक्षा बैठक में निदेशक आईईसी शाहीन अली खान, अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त पंकज ओझा, संयुक्त आयुक्त डॉ. विजय प्रकाश शर्मा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

दैनिक नवज्योति

राजस्थान जयपुर

एफएसएसएआई के सीईओ ने की प्रदेश के खाद्य सुरक्षा कार्यों की समीक्षा : निर्देश देते हुए कहा- घी, दूध, पनीर के नियमित सैंपल लें, 90 दिन में जांच कर फैसला दें

3734 सेम्पल सब स्टेंडर्ड एवं 131 मिस ब्रांडेड पाए गए

केन्द्रीय सीईओ ओटीएस के सभागार में प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे

जयपुर। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के केन्द्रीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. कमला वर्धन ने बुधवार को मिलावट रोकने के लिए दर्ज किए जा रहे केसेज की जानकारी ली एवं इनके त्वरित निस्तारण के साथ सतत निगरानी के निर्देश दिए। केन्द्रीय सीईओ ओटीएस के सभागार में प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। अतिरिक्त जिला कलक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं

स्वास्थ्य अधिकारी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की क्षेत्रीय अधिकारियों की मीटिंग। कहा कि आमजन के दैनिक खाद्य पदार्थों में शामिल घी, दूध, पनीर मसाले जैसे पदार्थों के सेंपल नियमित रूप से लिए जाएं और इनसे संबंधित केसेज को त्वरित रूप से निस्तारित किया जाए। उन्होंने प्रदेश में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के रिक्त पदों के बारे में जानकारी लेते हुए यथाशीघ्र भरने के भी निर्देश दिए।

रेगुलेटरी कम्प्लाइंस डिविजन के निदेशक राकेश कुमार एवं कार्यकारी निदेशक सत्येन कुमार पंडा ने कहा कि अधिनियम के तहत सेंपलिंग के बाद अधिकतम 90 दिवस में केस पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। खाद्य सरक्षा आयुक्त एच. गुईटे ने खाद्य सुरक्षा के तहत किए जाने वाली कार्यवाही की रियल टाइम मॉनिटरिंग एवं आमजन को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए एआई आधारित एप विकसित की जा रही है। इसमें आमजन के लिए प्रश्नावली सहित आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध होगी। अप्रेल 24 से मार्च 2025 की अवधि में प्रदेश में 18,213 सेम्पल लिए गए। इनमें 863 अनसेफ, 3734 सेम्पल सब स्टेंडर्ड एवं 131 मिस ब्रांडेड पाए गए। इनमें से 17,615 सेम्पल्स का विश्लेषण कर आवश्यक कार्यवाही कर दी गयी है। शेष 598 पेंडिंग मामलों में जिलावार अवधि निर्धारित कर नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। समीक्षा बैठक में निदेशक आईईसी शाहीन अली खान, अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त पंकज ओझा, संयुक्त आयुक्त डॉ. विजय प्रकाश शर्मा सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।

जयपुर महानगर टाइम्स
लोकतंत्र को समर्पित समाचार पत्र

एफएसएसएआई के सीईओ ने की प्रदेश के खाद्य सुरक्षा कार्यों की समीक्षा

- Mahanagartimes | 16 July, 2025

जयपुर। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के केन्द्रीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. कमला वर्धन ने कहा कि राजस्थान में मिलावट रोकथाम एवं खाद्य सुरक्षा को लेकर सेंपलिंग कार्यवाही के साथ—साथ आमजन में खाद्य सुरक्षा के प्रति जन-जागरुकता के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से आमजन में जागरूकता बढ़ी है तथा मिलावट पर प्रभावी रोकथाम हो रही है। उन्होंने मिलावट रोकने के लिए दर्ज किए जा रहे केसेज की जानकारी ली एवं इनके त्वरित निस्तारण के साथ सतत निगरानी के निर्देश दिए।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में उन्होंने मिलावट रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत किए जा रहे प्रयासों, लम्बित केसेज, मैनपॉवर सहित विभिन्न मामलों पर विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन के दैनिक खाद्य पदार्थों में शामिल घी, दूध, पनीर मसाले जैसे

पदार्थों के सेंपल नियमित रूप से लिए जाएं और इनसे संबंधित केसेज को त्वरित रूप से निस्तारित किया जाए। उन्होंने प्रदेश में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के रिक्त पदों के बारे में जानकारी लेते हुए यथाशीघ्र भरने के भी निर्देश दिए।

बैठक में रेगुलेटरी कम्प्लाइंस डिविजन के निदेशक राकेश कुमार एवं कार्यकारी निदेशक सत्येन कुमार पंडा ने भी खाद्य सुरक्षा एक्ट के प्रावधानों की सख्ती से पालना के साथ ही अपनाई जाने वाली रणनीति पर भी चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। राकेश ने कहा कि अधिनियम के तहत सेंपलिंग के बाद अधिकतम 90 दिवस में केस पर निर्णय किया जाना आवश्यक है।

खाद्य सरक्षा आयुक्त एच. गुईटे ने प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के तहत की जा रही कार्यवाही सहित विभिन्न अभियानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बारिश के मौसम को देखते हुए सभी एफएसओ को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के तहत किए जाने वाली कार्यवाही की रियल टाइम मॉनिटरिंग एवं आमजन को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए एआई आधारित एप विकसित की जा रही है। इसमें आमजन के लिए प्रश्नावली सहित आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध होगी।

अप्रेल 24 से मार्च 2025 की अवधि में प्रदेश में 18 हजार 213 सेम्पल लिए गए। इनमें 863 अनसेफ, 3734 सेम्पल सब स्टेंडर्ड एवं 131 मिस ब्रांडेड पाए गए। इनमें से 17 हजार 615 सेम्पल्स का विश्लेषण कर आवश्यक कार्यवाही कर दी गयी है। शेष 598 पेंडिंग मामलों में जिलावार अवधि निर्धारित कर नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने प्रदेश में त्यौहारी सीजन एवं अन्य अवसरों पर मिलावट रोकथाम के लिए संचालित किए जाने वाले अभियानों एवं प्रगति पर प्रजेंटेशन के माध्यम से जानकारी प्रदान की। समीक्षा बैठक में निदेशक आईईसी शाहीन अली खान, अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त पंकज ओझा, संयुक्त आयुक्त डॉ. विजय प्रकाश शर्मा सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।

नवोदय टाइम्स

नवोदय टाइम्स THU,17 JULY 2025
EDITION: EDITION, PAGE NO. 12

कड़ा कदम / खाद्य पदार्थों के नियमित नमूने लेने और त्वरित कार्रवाई का निर्देश जारी

मिलावटखोरों के खिलाफ सख्ती बरतें अधिकारी : कमलावर्द्धन राव

■ बोले, बीकानेर में खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना प्रक्रिया में लाएं तेजी

नई दिल्ली, 16 जुलाई (नवोदय टाइम्स): घी, दूध, पनीर और मसाले जैसे आम तौर पर खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के नमूने नियमित रूप से एकत्र किए जाएं और संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान किया जाए, ताकि बाजार में शुद्ध खाद्य पदार्थों की सुलभता के साथ मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

इस आशय के निर्देश भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के सीईओ जी. कमलावर्द्धन राव ने बुधवार को जयपुर में दिए। वह राज्य समीक्षा बैठक के दौरान राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। सीईओ ने बीकानेर में खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

जी. कमलावर्द्धन राव

सीईओ ने की राजस्थान सरकार के प्रयासों की सराहना

सीईओ ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और खाद्य मिलावट से निपटने में राजस्थान सरकार के सक्रिय प्रयासों की सराहना की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित खाद्य मिलावट के मामलों के शीघ्र निपटान की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में एफएसएस अधिनियम, 2006 के अनुसार, मामले की पहली सुनवाई के 90 दिनों के भीतर निर्णय लेने के लिए भी कहा गया।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
Food Safety and Standards Authority of India

सत्यमेव जयते

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health and Family Welfare
GOVERNMENT OF INDIA

एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002
FDA BHAWAN, KOTLA ROAD, NEW DELHI - 110002

Connect with FSSAI

FSSAI @fssaiindia www.fssai.gov.in FSSAI